भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1338
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए समेकित सुरक्षा योजना

1338. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
कुवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ सहयोग करके महिलाओं के लिए समेकित सुरक्षा योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने अतीत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसाओं को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) किस सीमा तक ये उपाय महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कम करने में कारगर रहे हैं;
(ङ) केंद्र सरकार द्वारा आदतन यौन दुराचारी पर नजर रखने के लिए ऑनलाईन पोर्टल को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) गत पांच वर्षों के दौरान विशेषतः बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन हिंसा/ अपराधों के पंजीकृत मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : भारत सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है । भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालयों ने देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं ।

भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि करने के उद्देश्य से अभिनव स्कीमें और परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए निर्भया कोष स्थापित किया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है, जिनमें इन सबसे प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सैंटर स्कीम तथा निर्भया कोष के अंतर्गत महिला हैल्पलाइन स्कीम और महिला पुलिस वॉलिंटयर स्कीम शामिल है । इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास सचिव की अध्यक्षता में गठित निर्भया कोष फ्रेम वर्क की अधिकार-प्राप्त समिति ने

निर्भया कोष की सहायता से क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय की अनेक स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : महिला सुरक्षा के लिए उपायों का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है । भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों का सार अनुलग्नक-II में दिया गया है ।

(ड.) : गृह मंत्रालय ने देश में यौन अपराधों की जांच करने और उनका पता लगाने में विधि प्रवर्तन अधिकारियों/अभिकरणों की सुविधा के लिए 20 सितम्बर, 2018 को 'राष्ट्रीय यौन अपराध आंकड़ा आधार' शुरू किया है । इस आंकड़ा आधार में 5 लाख से अधिक यौन अपराधियों के आंकड़े दर्ज हैं ।

(च) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 'भारत में अपराध' नामक अपने प्रकाशन में अपराधों के संबंध में सूचना संकलित और प्रकाशित करता है । वर्ष 2006 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं । महिलाओं और बच्चों के साथ किए गए अपराधों, जिनमें यौन हिंसा भी शामिल है, की कुल संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	महिलाओं के साथ हुए दर्ज अपराधों, जिनमें यौन हिंसा शामिल है, की कुल संख्या	बच्चों के साथ हुए दर्ज अपराधों, जिनमें यौन हिंसा शामिल है, की कुल संख्या
2012	244270	38172
2013	309546	58224
2014	339457	89423
2015	329243	94172
2016	338954	106958

बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के साथ हुए अपराधों के बारे सूचना अलग से नहीं रखी जाती है ।

*****

अनुलग्नक-।

'महिलाओं के लिए समेकित सुरक्षा योजना' विषय पर दिनांक 28/06/2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1338 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

निर्भया कोष के अतंर्गत गृह मंत्रालय की परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र .सं.	प्रस्ताव का नाम	अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकित राशि (रूपये करोड में)
1.	आपातकाल प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली	321.69
2.	केंद्रीय पीडित मुआवजा निधि का सृजन (सीवीसीएफ)	200.00
3.	संगठित अपराध जांच अभिकरण ओसी)आईए (	83.20
4.	महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध निवारण (सीसीपीडब्ल्यूसी)	195.83
	सीसीपीडब्ल्यूसी के अंतर्गत उप परियोजना	28.93
5.	दिल्ली में जिला और उप खंडीय पुलिस थाना स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओंपरामर्श/दाताओं की सुविधा हेतु प्रस्ताव	5.07
6.	नानकपुरा में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष यूनिट तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष यूनिट के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं से युक्त भवन ।	23.53
7.	कमीशनरेट पुलिस, भुवनेश्वर कटक, उडीसा सरकार में "सुरक्षित शहर परियोजना" के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव	110.35
8.	दिल्ली पुलिस की "महिला सुरक्षा योजना" के अंतर्गत विभिन्न अन्य गतिविधियां	10.20
9.	दिल्ली - शहरों के लिए सुरक्षित शहर का प्रस्ताव 8, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद और लखनऊ	2919.55
10.	सीएफएसएल चंडीगढ़ में आधुनिक डीएनएस प्रयोगशाला की स्थापना	99.76
11.	लैंगिक हमले के मामलों के लिए फोरेन्सिक किट की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव	28.33
12.	राज्यों में 13एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेन्सिक और संबंधित सुविधाओं का सुदृढीकरण	131.09

अनुलग्नक-।।

'महिलाओं के लिए समेकित सुरक्षा योजना' विषय पर दिनांक 28/06/2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1338 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित विवरण

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

I. महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों को संमन्वित करने के लिए, गृह मंत्रालय में एक पृथक महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की गई है ।

II. भारत सरकार ने आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 पारित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित बलात्कार के मामलों में तेजी से न्याय प्रदान करने के लिए और अधिक सख्त दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं । इसमें अन्वेषण और जांच को 2 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश भी दिया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून में होने वाले संशोधन बुनियादी स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जा सकें और देश में महिला सुरक्षा को बढाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है जो कि निम्नलिखित हैं :

III. आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार लैंगिक हमले के मामलों में समयबद्ध अन्वेषण की निगरानी करने एवं पता लगाने के लिए दिनांक 19 फरवरी, 2019 को "लैंगिक अपराधों के लिए अन्वेषण ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन एनालिटिक उपकरण की शुरूआत पुलिस के लिए की गई है।

IV. पूरे देश में विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा यौन अपराधियों की जांच और उनका पता लगाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को 'राष्ट्रीय यौन अपराध आंकड़ा आधार' शुरू किया गया है ।

V. वर्ष 2018-19 में 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपात प्रत्युत्तर समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) को क्रियाशील बनाया गया है, जिसके अंतर्गत एकल आपात नम्बर (112) पर आधारित संकट स्थल पर कम्प्यूटर से सहायता-प्राप्त क्षेत्र संसाधनों को पहुंचाए जाने का प्रावधान है ।

VI. अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए नागरिकों के लिए दिनांक 20 सितंबर, 2018 को साइबर अपराध पोर्टल की शुरूआत की गई है । इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में साइबर आपराध फारेन्सिक प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की गई है और महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराधों की पहचान करने, पता लगाने और निपटारा करने में 410 लोक अभियोजकों ओर न्यायिक अधिकारियों सहित लगभग 3664 कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है ।

VII. स्मार्ट पुलिसिंग तथा सुरक्षा प्रबंधन के लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए निर्भया निधि क अंतर्गत 8 शहरों (अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में चरण-। में सुरक्षित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ।

VIII. जांच में सुधार लाने के लिए, केंद्रीय और राज्य फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण यूनिटों को सुदृढ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं । इससे केंद्रीय फारेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ में आधुनिक (डीएनए विश्लेषण यूनिट की स्थापना को शामिल

किया गया है। निर्भया निधि के अंतर्गत 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण यूनिटों की स्थापना एवं उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है ।

IX. लैंगिक हमले के मामलों में फोरेन्सिक साक्ष्य एकत्रित करने तथा लैंगिक हमला साक्ष्य एकत्रीकरण किट में मानक मिश्रण के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं । जन शक्ति में पर्याप्त क्षमता को सुगम बनाने के लिए, अन्वेषण अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है । फॉरेन्सिक साक्ष्य के एकत्रीकरण, नियंत्रण तथा परिवहन में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवेलेपमेंट (सीपीआरडी) तथा लोक नायक जय प्रकाश नारायण नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ किमिनोलोनी एंड फॉरेन्सिक साइन्स द्वारा 2575 अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है । बीपीआर एंड डी ने प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में ओरियंटेशन किट के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3,120 लैंगिक हमला साक्ष्य एकत्रीकरण किटों का वितरण किया है ।